राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 08, 2024

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 172 के उप-नियम (2) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 211क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा विहित करती है कि 01.04.2024 से चालन अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) के उपबंधों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से या ई-हस्ताक्षर के माध्यम से केवल इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किये जायेंगे।

[प.6(179)परि/कर/मु./2024-25/3]
राज्यपाल के आदेश से,

(सोहन लाल मीना)
उप शासन सचिव